दिनांक 07.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 08/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना कोतवाली

- **50–50 हजार रूपये के 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2024 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–अर्पण 2–नोरिस 3–अभिषेक उर्फ सोनू 4–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50–50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अर्पण निवासी मैलाडिस्ट चर्च थाना कोतवाली कमिश्नरेट कानपुर नगर।

2–नोरिस निवासी मैलाडिस्ट चर्च थाना कोतवाली कमिश्नरेट कानपुर नगर।

3–अभिषेक उर्फ सोनू निवासी मैलाडिस्ट चर्च थाना कोतवाली कमिश्नरेट कानपुर नगर।

4–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–02 मोबाइल फोन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–126

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 ईको वैन**
- **चोरी की 07 बैट्री, 02 ईसीएम**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2024 को थाना सेक्टर–126 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुस्ता रोड जे.पी. कट के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–टिंकू 2–अजीत घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। दो अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 02 ईको वैन, चोरी की 07 बैट्री, 02 ईसीएम, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त टिंकू शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर–126 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–126 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–टिंकू निवासी पुस्ता सोनिया विहार दिल्ली।

2–अजीत निवासी तीसरा पुस्ता वीर बाजार चौक सोनिया विहार दिल्ली।

बरामदगी

1–चोरी की 02 ईको वैन।

2–चोरी की 07 बैट्री, 02 ईसीएम।

3–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मेरठ/थाना लिसाडी गेट

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 06.09.2024 को थाना लिसाडी गेट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कब्रिस्तान के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त इमरान उर्फ भिंडी उर्फ बिल्डर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोहियानगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लिसाडी गेट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इमरान उर्फ भिंडी उर्फ बिल्डर निवासी शालीमार गार्डन थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना बड्डूपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **05 हजार 800 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 06.09.2024 को थाना बड्डूपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भगौली के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रिंकू उर्फ विशाल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त बाबू उर्फ श्रीपाल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 05 हजार 800 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू उर्फ विशाल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़, सीतापुर, बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बड्डूपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू उर्फ विशाल निवासी सिसैया थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

2–बाबू उर्फ श्रीपाल निवासी असईपुर थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—05 हजार 800 रूपये नगद।

3—01 मोबाइल फोन।

4—02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

5—01 मोटर साइकिल।

<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **लूट का मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 07.09.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त भीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण, लूट का मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त भीम शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, मोबाइल, मोटर साइकिल लूट/चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भीम निवासी डी ब्लॉक राजीव कॉलोनी मोहन नगर साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लूट के सोने के आभूषण।

2–लूट का मोबाइल फोन।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद झाँसी/थाना मोठ

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त वाहन आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2024 को थाना मोठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बुढावली के पास से पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–राजवीर उर्फ बुद्धे 2–पूरन 3–रोहित को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना मोठ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मोठ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजवीर उर्फ बुद्धे के विरूद्ध जनपद झाँसी व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो

में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग एवं अभियुक्त पूरन व रोहित के विरूद्ध जनपद झाँसी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06–06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मोठ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजवीर उर्फ बुद्धे निवासी ग्राम वरहा थाना असबार जनपद भिण्ड मध्यप्रदेश।

2–पूरन निवासी ग्राम रमपुरा थाना रावतपुरा जनपद भिण्ड मध्यप्रदेश।

3–रोहित निवासी ग्राम छाछपुरा थाना भाण्डेर जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त वाहन आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना विजयनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 दो पहिया वाहन**
- **चोरी के 02 लैपटॉप, 01 टैबलेट, 08 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 आटो आदि बरामद**

दिनांक 06.09.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डम्पिंग यार्ड सिद्धार्थविहार के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–दीपक उर्फ डेविड 2–अभिषेक घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–अरमान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 दो पहिया वाहन, चोरी के 02 लैपटॉप, 01 टैबलेट, 08 मोबाइल फोन,

02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 आटो आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक उर्फ डेविड निवासी न्यू कोट थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, मूलपता ग्राम साबितगढ़ थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

2—अभिषेक निवासी पूरनमासी थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3—अरमान निवासी माता कॉलोनी थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 06 दो पहिया वाहन।

2—चोरी के 02 लैपटॉप, 01 टैबलेट, 08 मोबाइल फोन।

3—02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 आटो आदि।

जनपद मुरादाबाद/थाना मझोला

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **50 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **05 जीवित, 04 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2024 को थाना मझोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लाकडी फाजलपुर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 06 अभियुक्तों 1—रियासत 2—समीर 3—साहिल 4—दुष्यन्त 5—अमन 6—सतेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 50 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मझोला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रियासत निवासी लाकडी फाजलपुर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

2—समीर निवासी लंगडे की पुलिया असालतपुरा थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।

3—साहिल निवासी लाकडी पुरानी चामुण्डा थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

4—दुष्यन्त निवासी विकास नगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

5—अमन निवासी अहरोला मल्लपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

6—सतेन्द्र निवासी ग्राम जटपुरा थाना सैफनी जनपद रामपुर।

बरामदगी

1—50 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—05 जीवित, 04 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद महराजगंज/थाना ठूठीबारी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **चोरी के माल बिक्री के 16 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2024 को थाना ठूठीबारी व थाना निचलौल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खेसरहा फार्म चौराहा के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, चोरी के माल बिक्री के 16 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कुशीनगर, महराजगंज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जितेन्द्र निवासी ग्राम चैनपुर थाना कोठीभार जनपद महराजगंज।

बरामदगी

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2—चोरी के माल बिक्री के 16 हजार रूपये नगद।

3—02 मोबाइल पोन आदि।

जनपद बरेली/थाना शाही

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 40 हजार 240 रूपये नगद**
- **चोरी के चाँदी के आभूषण व मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 07.09.2024 को थाना शाही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीथम नोगवा जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 40 हजार 240 रूपये नगद, चोरी के चाँदी के आभूषण व मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.08.2024 को थाना शाही क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शाही पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शाही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राकेश निवासी ग्राम बीथम नौगवां थाना शाही जनपद बरेली।

बरामदगी

1—चोरी के 40 हजार 240 रूपये नगद।

2—चोरी के चाँदी के आभूषण व मोबाइल फोन आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—63

- **09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **24 लैपटॉप, 01 एपल टैब, 01 सीपीयू, 10 मोबाइल फोन, एलईडी, की—बोर्ड, माऊस, स्वाइप मशीन, क्यू0आर कोड आदि बरामद**

दिनांक 06.09.2024 को थाना सेक्टर—63 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ई—57ए पंचम तल, सी ब्लाक के पास से 09 अभियुक्तों 1—पंकज कुमार 2—सोनू कुमार 3—राहुल 4—छः अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 24 लैपटॉप, 01 एपल टैब, 01 सीपीयू, 10 मोबाइल फोन, एलईडी, की—बोर्ड, माऊस, स्वाइप मशीन, क्यू0आर कोड आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो विदेश में नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर लोगो से धोखाधड़ी की घटना कारित करते है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—63 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पंकज कुमार निवासी हिमालय प्रोपर्टीज एण्ड बिल्डर द्वितीय तल, गोविन्दपुरम, थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—सोनू कुमार निवासी इब्राहिमपुर जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

3—राहुल निवासी सेक्टर—22, चौड़ा गाँव, थाना सेक्टर—24, नोएडा मूल पता काजीपुर थाना कुण्डा, जिला प्रतापगढ़

बरामदगी

1—24 लैपटॉप, 01 एपल टैब, 01 सीपीयू, 10 मोबाइल फोन, एलईडी, की—बोर्ड, माऊस, स्वाइप मशीन, क्यू0आर कोड आदि।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना मछलीशहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 57 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना मछलीशहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/504/506 भादवि व 376क,ख भादवि सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राहुल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 57 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना हाफिजपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हाफिजपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुमित को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———